ज्ञापांक 4606/32-08-01/एक्स०एल०

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 26/09/2018

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल सहित), बिहार।
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल सहित), बिहार।
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।

विषयः– अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था माह– सितम्बर, 2018 के संबंध में।

....

सर्वप्रथम मैं अपने पुलिस अधीक्षकों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों तथा क्षेत्र में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों को मुहर्रम, 2018 शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए बधाई देता हूँ और शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए उनके प्रयास और परिश्रम की सराहना करता हूँ।

(2) आपको स्मरण करा दूँ कि माह–अक्टूबर, 2018 के द्वितीय सप्ताह में दुर्गा पूजा प्रारम्भ हो रही है जो सप्ताह–दस दिन तक चलेगी। इस अवसर पर प्रायः पूरे राज्य में मेला एवं प्रदर्शनों का आयोजन होता है, जिसमें काफी भीड़–भाड़ रहती है। माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है और उनकी पूजा के बाद उनका विसर्जन होता है। अन्य त्योहारों की भाँती इस पर्व पर भी विधि–व्यवस्था संधारित करने, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, मूर्तियों और मंदिरों की सुरक्षा, मूर्ति स्थापित करने के संबंध में उचित सत्यापन के बाद लाईसेंस निर्गत करना, जुलूस के मार्गो का सत्यापन, जनता की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु हैं और इसमें सर्वोपरि प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और शरारती तत्वों के किसी भी कुत्सित इरादे को सफल नहीं होने देना सबसे महत्वपूर्ण हैं।

(3) मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ कि प्रत्येक थाना को उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियाशील बनायें ताकि वह तत्काल प्रभाव से इस संबंध में आसूचना संग्रह करें और यह आकलन करें कि उनके थाना क्षेत्र में किस प्रकृति का आयोजन होने वाला है तथा उसे सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए क्या–क्या व्यवस्था आवश्यक है ? वे यह भी देखेंगें कि कौन से शरारती तत्व शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। तत्काल उनके विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107, 116(3) (बाँड भरवाने की कार्रवाई) तथा

Scanned by CamScanner

सी0सी0ए0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। थाना अपना पूर्वानुमान प्रतिवेदन भी पुलिस अधीक्षक को समर्पित करेंगें और पुलिस अधीक्षक समेकित रूप से उसकी समीक्षा कर अपनी देख–रेख में सभी निरोधात्मक एवं बंदोबस्त संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो तो वास्तविक आकलन पुलिस अधीक्षक करेंगें और प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से अतिरिक्त बल की मांग पुलिस मुख्यालय में रखेंगे।

(4) मैंने पूर्व में साम्प्रदायिक प्रकृति के सभी लंबित काण्डों का अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया था। कई जिलों ने काफी अच्छी संख्या में ऐसे मामलों का निष्पादन कर दिया है, किन्तु बहुत से जिलों में अभी भी साम्प्रदायिक मामले लंबित हैं। कुछ मामलों में सरकार का स्वीकृत्यादेश लंबित था जो इस बीच प्राप्त हो गया है। आपसे अनुरोध है कि सभी लंबित मामलों का अनुसंधान प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर एक सप्ताह के अन्दर आरोप–पत्र समर्पित कर दिया जाय। इस बीच जिन नये शरारती तत्वों की पहचान हुई है, उनके विरूद्ध भी अतिशीघ्र निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(5) ग्रामीण पुलिस आसूचना संग्रह का एक बहुत अच्छा संसाधन है, इसका उपयोग करें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया जाय कि वे थाना स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर जनरल चौकीदारी परेड सम्पन्न कराकर ग्रामीण पुलिस से आसूचना संग्रह करें और हम उनसे क्या काम लेना चाहते हैं उसके संबंध में ब्रिफिंग करें। कुछ जनरल चौकीदारी परेड में पुलिस अधीक्षक स्वयं भी भाग लें।

(6) अपराध नियंत्रण, अनुसंधान से सदैव बेहतर है। नाका, गस्ती, चेकिंग, दागियों की जाँच, आसूचना आधारित गिरफ्तारी एवं जप्ती अपराध नियंत्रण के अचूक उपाय हैं, जिस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हाल के दिनों में कई वरीय स्तरों पर यह महसूस किया जा रहा है कि पेट्रोलिंग एवं नाकाबंदी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परिणाम स्वरूप संवेदनशील आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती है। पेट्रोलिंग एवं नाका के संबंध में विस्तृत आदेश अलग से निर्गत किये जा चुके हैं, इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय। गस्ती में थाना के कनीय अधिकारी लगाये जा रहे हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि थानाध्यक्ष स्वयं भी पेट्रोलिंग करें। अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक भी निर्धारित माप–दण्ड के अनुरूप गस्ती एवं गस्ती की जाँच करेंगें।

Scanned by CamScanner

(7) सरकार ने प्रत्येक थाना में दो वाहन सदैव चालू हालत में पुलिसिंग के लिए तैयार रखने का निर्देश दिया है जिसकी पूर्ति के लिए पुलिस अधीक्षकों को भाड़े पर वाहन लेने के लिए भी अधिकृत किया जा चुका है। अतः इस कार्य में विलम्ब करने का कोई औचित्य नहीं है। गैर जरूरी कामों से जिला पुलिस बल को निकाल कर पुलिसिंग के काम में लगाया जाय। पेट्रोलिंग, नाकाबंदी के अतिरिक्त "डायल 100" या अन्य किसी माध्यम से अपराध एवं विधि–व्यवस्था की समस्या की सूचना प्राप्त होने पर 10–15 मिनट के अन्दर पुलिस प्रभावित स्थल पर पहुँच कर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि अपराध नियंत्रण के साथ–साथ जनता का विश्वास भी हासिल किया जा सके।

आशा है कि आप सभी उपरोक्त बिन्दुओं पर व्यक्तिगत ध्यान देकर एक सप्ताह के अन्दर सभी वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और दिनांक 04.10.2018 तक अनुपालन प्रतिवेदन अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

26/9/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय)/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा)/अपर पुलिस महानिदेशक(विधि–व्यवस्था)/अपर पुलिस महानिदेशक, रेल/पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय) बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

26/9/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner